



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
कार्यालय समन्वयक, बीएसटीसी (सामान्य)/बीएसटीसी (संस्कृत)
प्रवेश पूर्व परीक्षा-2015

Website: www.bstc2015.com, www.bstc2015.org

Phone No. – 0145-2787083, 2787084 (FAX)

अधिसूचना संख्या – 01/2015 दिनांक 21-02-2015

राजस्थान राज्य में संचालित विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में बीएसटीसी (सामान्य)/ बीएसटीसी (संस्कृत) प्रवेश पूर्व परीक्षा, 2015 (Pre B.S.T.C. (D.El.Ed.) Examination) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों से ऑन लाईन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। जिसका कार्यक्रम, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मापदण्ड इत्यादि निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	विवरण	महत्वपूर्ण तिथियाँ
1	ऑन-लाईन आवेदन-पत्रों की उपलब्धता	सोमवार 23 फरवरी, 2015 से
2	परीक्षा शुल्क की अन्तिम तिथि	बुधवार 18 मार्च, 2015 तक
3	ऑन-लाईन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि	शुक्रवार 20 मार्च, 2015 तक
4	प्रवेश परीक्षा	रविवार 19 अप्रैल, 2015 दोपहर 02.00 से 05.00 बजे

(अ) शैक्षणिक योग्यताएँ :-

- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदण्डानुसार शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु सीनियर सैकण्ड्री परीक्षा (10+2) अथवा समकक्ष में न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार होंगे :-

शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	सामान्य	अनु. जाति / जन.जाति	ओबीसी	विकलांग	विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलायें
बी.एस.टी.सी. (सामान्य)/ बी. एस.टी.सी. (संस्कृत)-2015 (D.El.Ed.)	50%	45%	45%	45%	45%

♣ (वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना में एक अंक भी कम स्वीकार्य नहीं होगा एवं ऐसा होना आवेदक की अभ्यर्थिता को निरस्त करने का पर्याप्त कारण होगा।)

2. उपरोक्त नम्बर 1 के क्रम में यदि आवेदक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अलावा किसी अन्य बोर्ड से आयोजित सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो इन परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा समकक्षता की मान्यता प्राप्त होने पर ही वह प्रवेश हेतु पात्र होगा (अभ्यर्थी को समकक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)।
3. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत हॉयर सैकण्डरी उत्तीर्ण आवेदक को भी अन्य शर्तें पूर्ण करने पर प्रवेश हेतु योग्य माना जावेगा।
4. जो आवेदक वर्ष 2015 में सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, परंतु उन्हें काउंसलिंग के समय तक पात्रता की सभी शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यह कि सीनियर सैकण्डरी का परीक्षा परिणाम निर्धारित काउंसलिंग की दिनांक तक नहीं दिये जाने पर अथवा निर्धारित अंक प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जावेगा।

(ब) आयु :-

आवेदक की आयु 1 जुलाई 2015 को 28 वर्ष से अधिक नहीं हो। विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं तथा राजकीय शिक्षकों के लिए आयु सीमा में कोई बन्धन नहीं है। अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए राजकीय सेवा नियमों के अनुरूप आयु सीमा में छूट देय होगी।

(स) शारीरिक अयोग्यता :-

ऐसे आवेदक जिनमें शारीरिक दोष हो, जो उसके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले अध्यापन कार्य में बाधा डाले, जैसे गूंगा होना, बोलने में असमर्थ होना, पूर्ण रूप से बहरा होना, दोनों हाथों का नहीं होना, जिससे श्यामपट्ट कार्य नहीं कर सके, दोनों पैरों का नहीं होना जिससे कक्षा में खड़ा नहीं हो सके आदि, इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र नहीं है, अतः ऐसे आवेदक आवेदन नहीं करें। उपरोक्त के अतिरिक्त नेत्रांध व अन्य विकलांग प्रवेश के पात्र होंगे।

राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों के नियोजन नियम 2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इनसे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक निःशक्तजन हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जायेगा।

● **आरक्षण: प्रवेश के लिए आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार होगा।**

● विस्तृत दिशा-निर्देश एवं अन्य सूचनाएँ वेब-साइट पर उपलब्ध हैं, आवेदक आवेदन करने से पूर्व उनका गहन अध्ययन करें।

ऑन-लाईन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया: ऑन लाईन आवेदन-पत्र, भरने की प्रक्रिया एवं विस्तृत दिशा निर्देश वेबसाइट www.bstc2015.com, www.bstc2015.org पर उपलब्ध होंगे।

आवेदन प्रक्रिया :- आवेदन On-line Application Form में लिये जाएंगे, जिन्हें राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रुपये 30/- (रुपये 20/- आवेदन-पत्र भरने हेतु और रुपये 10/- परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। आवेदक यदि स्वयं स्तर पर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना चाहता है, तो वह ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर केवल परीक्षा शुल्क जमा कराकर बी.एस.टी.सी. की वेबसाइट www.bstc2015.com, www.bstc2015.org से स्वयं आवेदन भर सकता है। इस स्थिति में उसे वहाँ परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु मात्र रुपये 10/- ही सेवा शुल्क देना होगा। ऑन-लाईन आवेदन-पत्र को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेब-साइट पर उपलब्ध है।

कियोस्क द्वारा आवेदन भरवाने पर आवेदक को रूपये 20/- की रसीद पृथक से कटवानी होगी। हाथ से भरे गए आवेदन-पत्र किसी भी रूप में इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

ऑन लाईन आवेदन-पत्रों की प्रिन्ट प्रति : अभ्यर्थी डॉउनलॉड किये गये आवेदन पत्र व घोषणा पत्र की हार्ड कॉपी एवं आवश्यक प्रमाण-पत्रों की सत्यापित फोटो प्रति अपने पास सुरक्षित संभाल कर रखें जिसे काउंसलिंग के समय निर्देशानुसार जमा करवाना आवश्यक होगा।

आवेदन परीक्षा शुल्क:

बी.एस.टी.सी. (सामान्य) अथवा (संस्कृत) (किसी एक पाठ्यक्रम हेतु) :- 350 रुपये

बी.एस.टी.सी. (सामान्य) तथा बी.एस.टी.सी. (संस्कृत) दोनों पाठ्यक्रम हेतु :- 450 रुपये

आवेदक उपरोक्तानुसार परीक्षा शुल्क राशि राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से ऊपर अंकित शुल्क जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक करेंगे। आवेदन पत्र भरने का निर्धारित शुल्क एवं परीक्षा शुल्क की राशि ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र द्वारा केवल नकद राशि में स्वीकार की जावेगी। परीक्षा शुल्क जमा कराते समय अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, वर्ग, जन्म तिथि एवं पाठ्यक्रम (एक या दोनों) भरेगा। शुल्क जमा कराने के उपरान्त कम्प्यूटर द्वारा निकाली गई पर्ची जिसमें उक्त सूचनाओं के साथ टोकन नं. जारी किया जावेगा, वह एक रसीद का कार्य करेगा। साथ ही साथ यह टोकन नं. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अंकित (Enter) करना अनिवार्य होगा। टोकन नं. अंकित (Enter) किये बिना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रदर्शित नहीं होगा।

जो अभ्यर्थी बीएसटीसी-2015 अल्पभाषाई संस्थान से अल्प भाषा में प्रवेश के इच्छुक हो वे ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने विषय के विकल्प का चयन करें।

नोट: अधिकृत ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र के अलावा जमा शुल्क, आवेदन-पत्र संग्रहण केन्द्र पर रोकड या अन्य माध्यम से जमा शुल्क स्वीकार्य नहीं है। इसी प्रकार बी.एस.टी.सी. कार्यालय को सीधे भेजे जाने वाली आवेदन-पत्र की प्रिन्ट प्रति भी स्वीकार्य नहीं होंगी। परीक्षा केन्द्र, महाविद्यालय आवंटन की सूचना तथा महाविद्यालय में रिपोर्टिंग की सूचना अभ्यर्थी के दिये गये मोबाईल नम्बर पर दी जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि आवेदन-पत्र में निर्धारित स्थान पर मोबाईल नम्बर सही सही अंकित करे तथा महाविद्यालय में प्रवेश तक मोबाईल नम्बर परिवर्तित नहीं करें।

कार्यालय समय : कार्य दिवस पर : सांय 5.00 बजे से रात्रि 9.30 बजे एवं अवकाश (रविवार/घोषित अवकाश) के दिन प्रातः 11.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक।

प्रवेश पूर्व परीक्षा—2015 के सामान्य निर्देश

1. ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया व चरण

1. **परीक्षा आवेदन :-** बी.एस.टी.सी. (सामान्य)/ बी.एस.टी.सी. (संस्कृत) प्रवेश पूर्व परीक्षा—2015 (Pre B.S.T.C. (D.El.Ed.) Examination) हेतु परीक्षा आवेदन पत्र कार्यालय की किसी भी वेबसाइट website : www.bstc2015.com, www.bstc2015.org से आवेदन किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया :- बी.एस.टी.सी. (सामान्य)/ बी.एस.टी.सी. (संस्कृत) प्रवेश पूर्व परीक्षा—2015 (Pre B.S.T.C. (D.El.Ed.) Examination) हेतु परीक्षा आवेदन On-line Application Form में लिये जाएंगे, जिन्हें राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रुपये 30/- (रुपये 20/- आवेदन-पत्र भरने हेतु और रुपये 10/- परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। आवेदक यदि स्वयं स्तर पर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना चाहता है, तो वह ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर केवल परीक्षा शुल्क जमा कराकर पीटीईटी की वेबसाइट website : www.bstc2015.com, www.bstc2015.org से स्वयं आवेदन भर सकता है। इस स्थिति में उसे वहाँ परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु मात्र रुपये 10/- ही सेवा शुल्क देना होगा। ऑन-लाइन आवेदन-पत्र को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेब-साइट पर उपलब्ध है। कियोस्क द्वारा आवेदन भरवाने पर आवेदक को रुपये 20/- की रसीद पृथक से कटवानी होगी। हाथ से भरे गए आवेदन-पत्र किसी भी रूप में विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व निम्न कार्य करें।

- आवेदन On-line Application Form में लिये जाएंगे, जिन्हें राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रुपये 30/- (रुपये 20/- आवेदन-पत्र भरने हेतु और रुपये 10/- परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। आवेदक यदि स्वयं स्तर पर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना चाहता है, तो वह ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर केवल परीक्षा शुल्क जमा कराकर बी.एस.टी.सी. की वेबसाइट www.bstc2015.com, www.bstc2015.org से स्वयं आवेदन भर सकता है। इस स्थिति में उसे वहाँ परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु मात्र रुपये 10/- ही सेवा शुल्क देना होगा। ऑन-लाइन आवेदन-पत्र को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेब-साइट पर उपलब्ध है। कियोस्क द्वारा आवेदन भरवाने पर आवेदक को रुपये 20/- की रसीद पृथक से कटवानी होगी। हाथ से भरे गए आवेदन-पत्र किसी भी रूप में इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- आवेदक अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो (अधिकतम 100 के.बी.) और स्ताक्षर (अधिकतम 50 के.बी.) को अलग अलग स्कैन कर **JPG/GIF/BMP** बनाएँ।

- आवेदक अपनी सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी अंकतालिका व प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र सब कैटेगरी (विधवा/तलाकशुदा/विकलांग/भूतपूर्वक सैनिक/टाडा सहरिया आदि) प्रमाण पत्र अपने साथ रखें।

(अ) वेबसाइट पर ऑनलाईन आवेदन पत्र उपलब्ध है जिसे भरते समय शुल्क टोकन नम्बर अंकित कर, फोटो व हस्ताक्षर को अपलोड कर आवश्यक सूचना भरने के पश्चात हार्डकापी निकाल कर घोषणा पत्र एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित फोटोप्रति अपने पास सुरक्षित संभाल कर रखें जिसे परीक्षा के पश्चात् काउंसलिंग के समय निर्देशानुसार जमा कराना होगा।

अभ्यर्थी को डाउनलोड किये गये आवेदन पत्र व घोषणा पत्र की हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित संभाल कर रखें जिसे काउंसलिंग के समय निर्देशानुसार जमा करानी आवश्यक होगी अतः अभ्यर्थी इन्हें अपने पास सुरक्षित रखें। बीएसटीसी कार्यालय द्वारा अभ्यर्थी के आवेदन की एक प्रति सॉफ्ट कॉपी कार्यालय में रिकार्ड हेतु रखी जाएगी जिसे काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी द्वारा जमा कराए गए हार्डकॉपी से मिलान किया जाएगा।

(ब) ऑनलाईन आवेदन पत्र अभ्यर्थी स्वयं भरे अथवा अपनी देखरेख में सावधानी पूर्वक भरवायें। आवेदन पत्र किसी अन्यत्र जैसे साईबर कैफे ऑपरेटर आदि द्वारा भरे जाने के स्थिति में अभ्यर्थी समस्त सूचनाएं अपने प्रमाण पत्रों के अनुसार आवेदन पत्र में सावधानीपूर्वक जांचने के पश्चात् ही OK करें। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाईन आवेदन करते समय अपने प्रमाण पत्र साथ रखें व उसी आधार पर प्रविष्टियाँ भरें।

(स) संदेश (SMS) से प्राप्त रोल नं. एवं परीक्षा केन्द्र के आधार पर प्रवेश पत्र बी.एस.टी.सी.- 2015 की वेबसाइट से डाउनलोड करें। यह सूचना बी.एस.टी.सी.-2015 की अधिकृत वेबसाइट www.bstc2015.com, www.bstc2015.org पर भी उपलब्ध रहेगी। आवेदक अपने नाम व पिता के नाम तथा शुल्क टोकन नं. के द्वारा अधिकृत वेबसाइट से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकता है। परीक्षा के लिए कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा डाक से नहीं भेजा जायेगा।

2. परीक्षा शुल्क :-

बी.एस.टी.सी. (सामान्य) अथवा (संस्कृत) (किसी एक पाठ्यक्रम हेतु) :- 350 रुपये

बी.एस.टी.सी. (सामान्य) तथा बी.एस.टी.सी. (संस्कृत) दोनों पाठ्यक्रम हेतु :- 450 रुपये

जो अभ्यर्थी बीएसटीसी-2015 अल्पभाषाई संस्थान से अल्प भाषा में प्रवेश के इच्छुक हो वे ऑनलाईन आवेदन करते समय अपने विषय के विकल्प का चयन करें।

अभ्यर्थी वेबसाईट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भरे व अपना मोबाइल नं. आवश्यक रूप से लिखे, जिससे संभवतया कार्यालय द्वारा उसके मोबाइल नं. पर आवश्यक जानकारियां संदेश (SMS) द्वारा आवंटित रोल नं., परीक्षा केन्द्र इत्यादि की सूचना दी जायेगी।

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र अजमेर जिला न्यायालय रहेगा।



प्रवेश पात्रता

❖ शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (D.El.Ed.) में प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डानुसार होनी अनिवार्य है।

❖ प्रवेश के लिए आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार होगा।

(अ) शैक्षणिक योग्यताएँ :-

5. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डानुसार शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु सीनियर सैकण्ड्री परीक्षा (10+2) अथवा समकक्ष में न्यूनतम अंक प्रतिशत ♣ विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार होंगे :-

शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	सामान्य	अनु.जाति / जन.जाति	ओबीसी	विकलांग	विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलायें
बी.एस.टी.सी. (सामान्य) / बी.एस.टी.सी. (संस्कृत)-2015 (D.El.Ed.)	50%	45%	45%	45%	45%

♣ (वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना में एक अंक भी कम स्वीकार्य नहीं होगा एवं ऐसा होना आवेदक की अभ्यर्थिता को निरस्त करने का पर्याप्त कारण होगा।)

- उपरोक्त नम्बर 1 के क्रम में यदि आवेदक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अलावा किसी अन्य बोर्ड से आयोजित सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो इन परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा समकक्षता की मान्यता प्राप्त होने पर ही वह प्रवेश हेतु पात्र होगा (अभ्यर्थी को समकक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत हॉयर सैकण्डरी उत्तीर्ण आवेदक को भी अन्य शर्तें पूर्ण करने पर प्रवेश हेतु योग्य माना जावेगा।
- जो आवेदक वर्ष 2015 में सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, परंतु उन्हें काउंसलिंग के समय तक पात्रता की सभी शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यह कि सीनियर सैकण्डरी का परीक्षा परिणाम निर्धारित काउंसलिंग की दिनांक तक नहीं दिये जाने पर अथवा निर्धारित अंक प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जावेगा।
- पूरक परीक्षा के संबंध में पूरक-परीक्षा वाले विषय में न्यूनतम उत्तीर्णांक ही जोड़े जाएंगे।

(ब) आयु :-

आवेदक की आयु 1 जुलाई 2015 को 28 वर्ष से अधिक नहीं हो। विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं तथा राजकीय शिक्षकों के लिए आयु सीमा में कोई बन्धन नहीं है। अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए राजकीय सेवा नियमों के अनुरूप आयु सीमा में छूट देय होगी।

(स) शारीरिक अयोग्यता :-

ऐसे आवेदक जिनमें शारीरिक दोष हो, जो उसके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले अध्यापन कार्य में बाधा डाले, जैसे गूंगा होना, बोलने में असमर्थ होना, पूर्ण रूप से बहरा होना, दोनों हाथों का नहीं होना, जिससे श्यामपट्ट कार्य नहीं कर सके, दोनों पैरों का नहीं होना जिससे कक्षा में खड़ा नहीं हो सके आदि, इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र नहीं है, अतः ऐसे आवेदक आवेदन नहीं करें। उपरोक्त के अतिरिक्त नेत्रांध व अन्य विकलांग प्रवेश के पात्र होंगे।

राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों के नियोजन नियम 2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इनसे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक निःशक्तजन हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जायेगा।

(द) अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र :-

1. आवेदक को राज्य के मूल निवासी (बोनाफाइड) होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत जिला मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम. के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया हो, वही मान्य होगा एवं आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए।
2. राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/टाडा/सहरिया के प्रमाण पत्र एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र, विशेष पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए एवं उसमें राजस्थान के मूल निवासी होने का उल्लेख हो तो वह जाति प्रमाण पत्र में राजस्थान के मूल निवास का उल्लेख नहीं है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान के मूल निवास का प्रमाण पत्र अलग से निर्धारित प्रपत्र के अनुसार देना होगा।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना मान्य नहीं होगा।
4. विधवा महिला को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र जो कि नोटेरी से प्रमाणित हो, देना होगा।

5. तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला की स्थिति में न्यायालय की डिक्री तथा पुनर्विवाह नहीं करने शपथ पत्र जो कि नोटेरी से प्रमाणित हो देना होगा।
6. आवश्यक प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए अन्यथा मान्य नहीं होंगे।

(य) आरक्षण :-

1. सत्र 2011-12 से अधिसूचित जनजाति उपायोजना क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रावधित अनुसूचित जनजाति के 12 प्रतिशत आरक्षण का 45 प्रतिशत आरक्षण सम्पूर्ण राज्य में स्थित शिक्षक प्रशिक्षक संस्थाओं में एनसीटीई द्वारा स्वीकृत सीटों पर लागू रहेगा। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के 12 प्रतिशत आरक्षण के अध्यक्षीन ही देय होगा। जनजाति उपायोजना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के कोटे की सीटें खाली रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से भरी जा सकेगी।
2. विशेष पिछड़ा वर्ग को 1 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने हेतु कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र आदेश क्रमांक प.15(24)कार्मिक/क-2/75 दिनांक 07-08-07 के साथ संलग्न उपाबन्ध में लम्बवत् आरक्षण हेतु निर्धारित रोस्टर बिन्दु संख्या 97 जो अनारक्षित (UR) है, अब विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) के लिए आरक्षित होगा। इसके अतिरिक्त शेष आरक्षण व्यवस्था एस.सी. हेतु 16 प्रतिशत, एस.टी. के लिए 12 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 21 प्रतिशत, विकलांगों हेतु 3 प्रतिशत (जिसमें से 1 प्रतिशत गूंगे-बहरों हेतु, 1 प्रतिशत दृष्टिबाधित तथा 1 प्रतिशत अस्थि विकलांगों हेतु आरक्षण रहेगा), 5 प्रतिशत रक्षाकर्मी आश्रितों के लिए तथा 20 प्रतिशत महिलाओं हेतु (20 प्रतिशत में 8 प्रतिशत विधवा, 2 प्रतिशत परित्यक्ता महिलाओं हेतु आरक्षण रहेगा) पूर्व प्रावधित रहेगी।
3. प्रवेश क्षमता की अधिकतम 5 प्रतिशत सीटों पर राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को मैरिट के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा।
4. राज्य सरकार द्वारा बीएसटीसी में आरक्षण हेतु जारी दिशा निर्देश मान्य होंगे। जिसकी जानकारी समय-समय पर बीएसटीसी वेबसाईट से प्राप्त की जा सकेगी।
5. अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में वरीयतानुसार निर्धारित 51 प्रतिशत सीटों पर अल्पसंख्यक कोटे में नोडल एजेन्सी द्वारा बीएसटीसी प्रवेश पूर्व परीक्षा में सफल रहे अल्प संख्यक अभ्यर्थियों को एवं शेष 49 प्रतिशत सीटों पर भी सामान्य कोटे के बीएसटीसी प्रवेश पूर्व परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को प्रवेश

एजेन्सी द्वारा ही प्रवेश दिया जावेगा। किसी भी बीएसटीसी प्रशिक्षण संस्थान को अपने स्तर पर किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जाने का प्रावधान नहीं है।

- (र) बीएसटीसी प्रवेश पूर्व परीक्षा में वरीयता प्राप्त सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग शुल्क रु. 2000/- जमा करा कर काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। अभ्यर्थी अधिकतम महाविद्यालय विकल्प का चयन करें जिससे कि उसका प्रवेश सुनिश्चित हो सके। महाविद्यालय आवंटन न होने की दशा में वह स्वतः ही इस प्रक्रिया से बाहर हो जायेगा व उनकी काउंसलिंग शुल्क नियमानुसार लौटा दिया जावेगा।

अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुल्क लौटाने में होने वाली विलम्ब को देखते हुए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है वे अपना बैंक खाता खुलावे जिससे काउंसलिंग शुल्क लौटाने में कार्यालय को परेशानी न हो।

- (ल) बीएसटीसी-2015 प्रवेश पूर्व परीक्षा में वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दो चरणों में किया जाना प्रस्तावित है। कुल सीट्स के 10 प्रतिशत से अधिक सीट्स रिक्त होने पर तृतीय चरण में भी काउंसलिंग द्वारा आवंटन किया जा सकेगा। प्रत्येक चरणों में अपवर्ड मूवमेन्ट द्वारा वरीयतानुसार अभ्यर्थियों के महाविद्यालय का स्थानान्तरण किया जाना प्रस्तावित है।
- (व) बीएसटीसी 2015 में राज्य सरकार के नियमानुसार (अ) विधवा एवं परित्यक्ता (ब) विकलांग (स्त्री व पुरुष) (स) एकल महिला(अविवाहित) का महाविद्यालय स्थानान्तरण काउंसलिंग द्वारा आवंटन पूर्ण होने के पश्चात रिक्त सीट्स पर किया जाना प्रस्तावित है। स्थानान्तरण की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऑनलाईन द्वारा अभ्यर्थियों को आवेदन किया जाना प्रस्तावित है। स्थानान्तरण वरीयता के अनुसार ही किया जाएगा।

3. परीक्षा आयोजन प्रक्रिया

1. परीक्षा दिनांक 19 अप्रैल, 2015 (रविवार) को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर दोपहर 2.00 से 5.00 बजे तक आयोजित की जायेगी।
2. परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्ति :- कार्यालय की वेबसाइट www.bstc2015.com, www.bstc2015.org से 01 अप्रैल, 2015 से डाउनलोड करें।
3. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारम्भ होने के आधा घंटा पूर्व आवश्यक रूप से पहुँच कर स्थान ग्रहण करें।
4. परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी Question Booklet प्राप्त कर, अवलोकन पश्चात् यह सुनिश्चित कर लें कि उसके सभी पृष्ठ पूर्ण हैं, कोई भी पृष्ठ क्षतिग्रस्त नहीं है तथा प्रश्नों का क्रमांक बढ़ते

क्रम में है। क्षतिग्रस्त/त्रुटिपूर्ण Question Booklet तथा OMR Sheet को परीक्षा प्रारम्भ होने के 10 मिनट तक बदलवा लेवें इसके पश्चात् कोई बदलाव नहीं होगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

5. किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
6. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् Question Booklet व OMR Sheet वीक्षक (Invigilator) को सुपुर्द करने के बाद ही परीक्षा कक्ष छोड़ें।
7. प्रश्न पत्र संरचना:— प्रश्न पत्र चार खण्डों में विभाजित है। कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी। सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक (Multiple Choice Questions) प्रकार के होंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं एवं प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंकन (Negative Marking) नहीं होगा। प्रश्न पत्र संरचना निम्न प्रकार है।

खण्ड	अ	ब	स	द		
				I	II	III
विषय	मानसिक योग्यता	राजस्थान की सामान्य जानकारी	शिक्षण अभिक्षमता	अंग्रेजी	संस्कृत	हिन्दी
प्रश्नों की संख्या	50	50	50	20	30	30
अंक	150	150	150	60	90	90

8. प्रश्न पत्र संबंधी सूचना :— Question Booklet में कुल 200 बहुविकल्पी (Multiple Choice Questions) प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में वैकल्पिक उत्तर होंगे। प्रश्न पत्र चार खण्डों (अ,ब,स,द) में विभक्त होगा। खण्ड 'द' तीन उपखण्डों (I-अंग्रेजी, II-संस्कृत एवं III-हिन्दी) में विभाजित होगा। खण्ड अ,ब,स एवं द का उपखण्ड I-अंग्रेजी भाग सभी आवेदकों को हल करना आवश्यक है। खण्ड 'द' का उपखण्ड II-संस्कृत भाग बी.एस.टी.सी. (संस्कृत) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को हल करना होगा तथा खण्ड 'द' का उपखण्ड III-हिन्दी भाग बी.एस.टी.सी. (सामान्य)-2015 पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को हल करना आवश्यक है।
9. जो अभ्यर्थी बी.एस.टी.सी. (सामान्य) एवं बी.एस.टी.सी. (संस्कृत)-2015 दोनों का चयन करते हैं उन्हें खण्ड 'द' का उप-खण्ड II-संस्कृत भाग हल करना होगा।

10. परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुवैकल्पिक (Multiple Choice Questions) होंगे तथा इनका सही उत्तर के लिए आपको दी गई OMR Sheet के संबंधित प्रश्न संख्या के सामने अंकित A,B,C,D वाले गोले को ही काला/नीला करना होगा अन्य स्थान को काला/नीला करने या A,B,C,D लिखने पर आपकी OMR Sheet का अंकन नहीं होगा। इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

11. OMR Sheet सम्बंधी सूचना:-

(अ) परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व OMR Sheet की समस्त प्रविष्टियों की पूर्ति करें। अभ्यर्थी OMR Sheet में रोल नम्बर एवं Question Booklet नम्बर सावधानीपूर्वक सही अंकित करें और अपना रोल नम्बर प्रवेश पत्र से जांच कर लिखें। अभ्यर्थी का परिणाम OMR मशीन द्वारा Answer sheet में अपने द्वारा भरा गया Question Booklet नम्बर के आधार पर ही तैयार किया जावेगा।

(ब) OMR Sheet चार खण्डों में विभक्त होगी। प्रत्येक खण्ड में 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के न्यूनतम चार “वैकल्पिक उत्तर” A,B,C,D के रूप में होंगे।

(स) OMR Sheet में सही उत्तर वाले गोले को काले/नीले बाल पाइंट पेन से पूरा गहरा करें।

(द) एक प्रश्न के उत्तर के लिए एक ही गोले को काला/नीला करें, तथा रफ कार्य न करें।

(य) गोले को ही काला/नीला करें अन्यत्र या पास में बनाये गये गोले का अंकन नहीं होगा।

(र) OMR Sheet का मूल्यांकन Scanning द्वारा होगा। अतः सम्पूर्ण गोला गहरा काला/नीला करें।

(ल) परीक्षा समाप्ति के पश्चात् परीक्षार्थी OMR Sheet व Question Booklet वीक्षक (Invigilator) को सुपुर्द करने के बाद ही अपना कक्ष छोड़ें।

(व) Question Paper के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षा केन्द्र पर बीएसटीसी पर्यवेक्षक को अपनी शिकायत लिखित में दें।

(ह) बीएसटीसी परीक्षा की Question Paper Key कार्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा पश्चात् एक सप्ताह में उपलब्ध कराई जावेगी। अभ्यर्थी को किसी प्रकार की शिकायत होने पर 01 मई 2015 तक बीएसटीसी वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करावें।

आवेदक द्वारा घोषणा

(काउंसलिंग के समय आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करे)

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री(नाम)

घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. मैंने बी.एस.टी.सी. (सामान्य)/ बी.एस.टी.सी. (संस्कृत) प्रवेश पूर्व परीक्षा-2015 (Pre B.S.T.C. (D.El.Ed.) Examination से संबंधित नियमों के लिए निर्धारित सामान्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया है।
2. मैं किसी भी स्थिति में जमा शुल्क को लौटाने के लिए नहीं कहूँगा/कहूँगी।
3. मुझे किसी भी आपराधिक कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय द्वारा कभी दण्डित नहीं किया गया है।
4. (अ) किसी गलती या विवाद की स्थिति में पहले मैं प्रकरण संबंधी पूर्ण वस्तुस्थिति के साथ बी.एस.टी.सी. (सामान्य)/ बी.एस.टी.सी. (संस्कृत) प्रवेश पूर्व परीक्षा-2015 कार्यालय में प्रतिवेदन भेजूँगा/भेजूँगी और 60 दिवस में मामले का निस्तारण न होने के पश्चात् ही न्यायालय से न्याय हेतु/कार्यवाही करूँगा/करूँगी। किसी विधिक वाद की स्थिति में न्यायिक कार्य क्षेत्र केवल अजमेर स्थित न्यायालय का ही होना मुझे स्वीकार है।
(ब) यदि मैंने अकारण अथवा वास्तविक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर समन्वयक कार्यालय के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर किया तो समन्वयक को समुचित मुआवजा देने को बाध्य होऊँगा/होऊँगी।
(स) न्यायालय में दायर सभी विवादों के लिए न्यायिक अधिकार अजमेर शहर स्थित न्यायालय का ही होगा।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना नहीं हैं।
6. आवेदन पत्र में कमी, त्रुटि होने, तथ्य छिपाने, गलत तथ्य देने की वजह से आवेदन पत्र को किसी भी स्तर पर निरस्त किये जाने हेतु मेरी सहमति है।
7. मैं स्वयं परीक्षा प्रवेश पत्र अधिकृत वेबसाईट www.bstc2015.com, www.bstc2015.org से डाउनलोड करूँगा/करूँगी।
8. मेरे मूल दस्तावेजों का अन्तिम सत्यापन प्रवेश देने वाली संस्था द्वारा किया जायेगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी अथवा कोई तथ्य गलत पाया जाये तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

9. मेरे द्वारा ऑनलाईन प्रार्थना में दी गई जानकारीयों को मेरे दस्तावेजों से सावधानीपूर्वक जांच कर व सही पाया गया ।
10. मैं इस तथ्य से भलीभांति अवगत हूँ कि मेरे किसी भी दस्तावेज का इस परीक्षा से पूर्व सत्यापन नहीं किया गया है। समस्त वांछित मूल दस्तावेज प्रवेश के समय प्रवेश देने वाली संस्था के समक्ष प्रस्तुत कर दूँगा/दूँगी।
11. काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेने पर मेरी प्रवेश पात्रता स्वतः रद्द हो जायेगी।

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

फोन नम्बर मय कोड

मोबाईल नम्बर

सत्यापन

मैं (अभ्यर्थी का नाम) सत्यापन करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में अंकित सभी कथन मेरी जानकारी एवं निष्ठा के अनुसार सही एवं सत्य है। इसमें मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है।

हस्ताक्षर

(सत्यापित करने वाले अधिकारी का नाम एवं पद)

अभ्यर्थी का नाम

नोट :- मजिस्ट्रेट/नोटेरी/ऑथ-कमिशनर/राजपत्रित अधिकारी

(किसी से भी सत्यापित कराये)

आवंटित महाविद्यालय में उपस्थिति के समय आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची:-

क्र.सं.	दस्तावेज/प्रमाण-पत्र का नाम	संलग्न सं.
1	आवेदक द्वारा घोषणा	
2	सैकण्डरी/समकक्ष की अंकतालिका की सत्यापित प्रति	
3	सीनियर सैकण्डरी/समकक्ष की अंकतालिका की सत्यापित प्रति/वर्तमान में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी रोल नं. की प्रति संलग्न करें।	
4	मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति	
5	जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति	

6	अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र, जो कि 6 माह से अधिक पुराना ना हो।	
7	शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।	
8	विधवा महिला की स्थिति में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ-पत्र जो नोटेरी से प्रमाणित हो।	
9	तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को न्यायालय द्वारा जारी डिक्री को प्रमाणित प्रतिलिपि एवं पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ-पत्र जो नोटेरी से प्रमाणित हो।	
10	भूतपूर्व सैनिक के आश्रित का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।	
11	टाडा/सहरिया से संबंधित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।	
12	महाविद्यालय आवंटन पत्र की प्रति	
13	अन्य	
14	कुल संलग्नकों की संख्या	



आवेदक के हस्ताक्षर

बी.एस.टी.सी. (सामान्य) / बी.एस.टी.सी. (संस्कृत) प्रवेश पूर्व परीक्षा—2015

(Pre B.S.T.C. (D.El.Ed.) Examination)

के आवेदक कृपया ध्यान दें

1. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र को अपने पास सुरक्षित संभाल कर रखे इसे निर्देशानुसार काउंसलिंग के समय जमा कराना होगा व साथ ही इसे बी.एस.टी.सी.—2015 कार्यालय, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को सीधे ही डाक द्वारा नहीं भेजें। ऐसे भेजे गये आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और निरस्त समझे जाएंगे।
2. पात्रता आप स्वयं सुनिश्चित करें। सफल होने पर भी अपात्रता की दशा में आपका प्रवेश किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जायेगा एवं फीस नहीं लौटाई जायेगी।
3. परीक्षा में OMR Sheet को भरने के लिए काली/नीली स्याही का बाल पाइंट पेन का प्रयोग करें।
4. निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
5. इस प्रवेश पूर्व परीक्षा का शुल्क किसी भी दशा में प्रत्यर्पणीय (Refundable) नहीं है। अतः नियमों और निर्देशों के अन्तर्गत जो आवेदक पूर्ण पात्रता रखते हैं केवल वे ही आवेदन करें।
6. जिले का नाम एवं संकेतांक की सूचना आवेदन पत्र में दी गई है। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हेतु कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा तथापि केन्द्र आवंटन के संबंध में समन्वयक का निर्णय अंतिम होगा।
7. परीक्षा परिणाम के पश्चात् ऑनलाइन काउन्सलिंग के द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का आवंटन होगा। काउन्सलिंग के समय आपको शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों का जिनमें आप प्रवेश लेना चाहेंगे उसका वरीयता क्रम चयन में सावधानी रखनी है।
8. शिक्षा सत्र में न्यूनतम 200 कार्य दिवस होना अनिवार्य होगा। विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे नियमित रूप से महाविद्यालय में उपस्थिति की शर्त को पूरा करें।
9. पाठ्यक्रम में काउन्सलिंग से प्रवेशित किसी भी प्रवेशार्थी को प्रवेश फीस वापस नहीं लौटाई जावेगी।
10. इस प्रवेश पूर्व परीक्षा—2015 से संबंधित समस्त प्रक्रिया पर राज्य सरकार, निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा एवं एन.सी.टी.ई. द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश आदि लागू होंगे।

11. पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा जो संलग्न है जो कि राज्य शासन से प्राप्त निर्देशों के उपरान्त संशोधित भी की जा सकती हैं। अतः आवेदक इस संबंध में नवीनतम जानकारी के लिये बीएसटीसी की वेबसाइट पर समय-समय पर देखें।

बी.एस.टी.सी. (सामान्य) / बी.एस.टी.सी. (संस्कृत)
प्रवेश पूर्व परीक्षा-2015 (Pre B.S.T.C. (D.El.Ed.) Examination का पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा

अधिकतम अंक

(अ) Mental Ability (मानसिक योग्यता) – (50 प्रश्न)

150 अंक

Reasoning (तार्किक योग्यता), Analogy (दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता), Discrimination (विभेदीकरण), Relationship (संबंधता), Analysis (विश्लेषण), Logical Thinking (तार्किक चिंतन)

(ब) General Awareness of Rajasthan (राजस्थान की सामान्य जानकारी) – (50 प्रश्न)

150 अंक

Historical Aspect (ऐतिहासिक पक्ष), Political Aspect (राजनैतिक पक्ष), Art, Culture and Literature Aspect (कला, संस्कृति और साहित्य पक्ष), Economic Aspect (आर्थिक पक्ष), Geographical Aspect (भौगोलिक पक्ष), Folk Life (लोक जीवन), Social Aspect (सामाजिक पक्ष), Tourism Aspect (पर्यटन पक्ष)

(स) Teaching Aptitude (शिक्षण अभिक्षमता) – (50 प्रश्न)

150 अंक

Teaching Learning (शिक्षण अधिगम), Leadership Quality (नेतृत्व गुण), Creativity (सृजनात्मकता), Continuous and Comprehensive Evaluation (सतत एवं व्यापक मूल्यांकन), Communication Skills (संप्रेषण कौशल), Professional Attitude (व्यावसायिक अभिवृत्ति), Social Sensitivity (सामाजिक संवेदनशीलता)

(द) Language Ability (भाषा योग्यता) – (50 प्रश्न)

I. English – (20 प्रश्न)

60 अंक

Comprehension, Spotting Errors, Narration, Prepositions, Articles, Connectives, Correction of Sentences, Kind of Sentences, Sentence Completion, Tense, Vocabulary : Synonym, Antonym, One Word Substitution, Spelling Errors.

II. Sanskrit (संस्कृत) – (30 प्रश्न) (केवल बीएसटीसी संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिये)

90 अंक

स्वर, व्यंजन (उच्चारण स्थान), शब्द रूप (अकारान्त पुल्लिङ्ग, अकारान्त स्त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग) धातुरूप (लट्लकार, लोट्लकार, लङ्लकार एवं विधिलिङ्गलकार), उपसर्ग एवं प्रत्यय, संधि (स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि), समास (तत्पुरुष, द्विगु एवं कर्मधारय समास), लिङ्ग एवं वचन, विभक्तियां एवं कारक ज्ञान।

अथवा

III. Hindi (हिन्दी) – (30 प्रश्न)

90 अंक

शब्द ज्ञान—पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धीकरण (शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि), मुहावरे एवं कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द।

अभ्यर्थियों हेतु विशेष सूचना

बीएसटीसी (सामान्य)/(संस्कृत) प्रवेश पूर्व परीक्षा –2015) (Pre B.S.T.C. (D.El.Ed.)

Examination ऑनलाईन आवेदन करते समय अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले की वे प्रवेश हेतु शैक्षणिक, आयु व कटेगरी की पूर्ण योग्यता रखते हैं। परीक्षा में भाग लेने व वरीयता प्राप्त करने के पश्चात् भी योग्यता नहीं रखने पर अभ्यर्थी काउंसलिंग अथवा प्रवेश हेतु पात्र नहीं माना जावेगा। अभ्यर्थियों की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश पत्र में फोटो हेतु रिक्त स्थान पर ऑनलाईन में अपलोड किया गया फोटो की मूल फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर व अंगूठे का निशान वीक्षक के सामने लगाना होगा। जिसकी जांच प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय स्तर पर की जावेगी। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी इस अधिसूचना को सावधानीपूर्वक पढ़ें और समझ लें। किसी तरह का संदेह होने पर कार्यालय की सहायता केन्द्र से संदेह का निराकरण किया जा सकता है। इस अधिसूचना की एक प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें।

समन्वयक

बीएसटीसी-2015